# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 168/2010 ✓

सायलान :- बनाम गैरसायलान :-

1. गोपाराम पुत्र तुलछाराम
2. गोकलराम पुत्र तुलछाराम
   फौत के कायम मुकाम :-
   2/1 शिवराम पुत्र गोकलराम
   2/2 धाराराम पुत्र गोकलराम
   2/3 प्रकाश पुत्र गोकलराम
   2/4 श्रवणीदेवी पत्नि गोकलराम
   जातियान-बावरी,निवासी-बांजाकुड़ी
   तह0-जैतारण (जिला-पाली)

1. नारायण पुत्र तुलछाराम
2. जगदीश पुत्र मोहनलाल
   जातियान-बावरी,
   निवासीगण-बांजाकुड़ी
   तह0-जैतारण (जिला-पाली)
3. तहसीलदार, जैतारण
   तह0-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.29.12.2010

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, गै0सा0।

---

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 93/2011

प्रार्थी :- बनाम अप्रार्थी :-

1. जगदीश पुत्र मोहनलाल
   जाति-बावरी, निवासी-बांजाकुड़ी
   तह0-जैतारण (जिला-पाली)

1. गोपाराम पुत्र तुलछाराम
2. शिवराम पुत्र गोकलराम
3. धाराराम पुत्र गोकलराम
4. प्रकाश पुत्र गोकलराम
5. श्रवणीदेवी पत्नि गोकलराम
   जातियान-बावरी,निवासी-बांजाकुड़ी
   तह0-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.07.07.2011

उपस्थितः- 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 15/06/2015

वकील मय सायलान ने एक राजस्व प्रार्थना विरूद्ध गै0सा0 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-बांजाकुड़ी, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में सायलान एवं गै0सा0 संख्या 1 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 908 व 909 कुल किता-2 कुल रकबा 14-17 बीघा की आई हुई हैं। जिसके सायलान व गै0सा0 एक रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उक्त विवादित आराजी सायलान व गै0सा0 संख्या 1 की संयुक्त व शामलाती हैं। जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा के बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं, आपसी सहमति से वर्षो

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पूर्व से मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ हैं। जिस पर रोड़ के समानान्तर पास में चिपते
ही सायल संख्या 2 के उत्तराधिकारी के हक हिस्से की जमीन हैं। इसके बाद मध्य
में गोपाराम के हक हिस्से की जमीन हैं व अन्त में गै0सा0 नारायण के हक हिस्से
की जमीन थी जो सायल संख्या 2 के उत्तराधिकारी को बेचान ईकरार के दी हुई हैं।
सायलान व गै0सा0 संख्या 1 की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा
नहीं होने से राजस्व रेकर्ड में उक्त सम्पूर्ण भूमि संयुक्त व शामलाती रूप से दर्ज हैं।
इसी वजह से गै0सा0 संख्या 2 ने गै0सा0 संख्या 1 को कपट व धोखे से अपने
विश्वास में लेकर उक्त विवादित आराजी में से गै0सा0 संख्या 1 की 1/3 हिस्से का
बेचाननामा अपने पक्ष में रजिस्टर्ड करवाया हैं तथा उक्त भूमि रोड़ के समानान्तरण
होने का झूँठा अंकन किया हैं। गै0सा0 संख्या 2 अजनबी क्रेता हैं, जिसे बंटवाड़ा
होने तक इस संयुक्त व शामलाती आराजी में प्रवेश करने का कोई हक व अधिकार
प्राप्त नहीं हैं। पहले सायल बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अपने हक हिस्से की भूमि
का बंटवाड़ा कराने के विधिक रूप से अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र पेश किया हैं।
बिना सायलान का बंटवाड़ा कराये किसी विशिष्ट भू-भाग को हस्तान्तरण करने का
कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। गै0सा0 संख्या 1 ने संयुक्त व शामलाती
विवादित आराजी में से रोड़ के चिपते ही अपना 1/3 हिस्सा होना बताकर गै0सा0
संख्या 2 के हक में बेचाननामा निष्पादित करवाया हैं एवं अब इसी बेचान के आधार
पर गै0सा0 संख्या 2 सायल के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने की कुचेष्टा कर
रहा हैं। जबकि उक्त क्रेता को कोई अधिकार नहीं हैं। गै0सा0 संख्या 2 बतौर
अतिक्रमी विवादित आराजी में कब्जा करने हेतु बल प्रयोग हेतु आमादा हैं व दिनांक
07/12/2010 को सायलान को एलानिया धमकी दी कि सड़क से चिपते ही कब्जा
करूँगा गै0सा0 जबरदस्ती कब्जा किया तो सायलान गै0सा0 के ऐसे कृत्य का विरोध
करेंगे, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। गै0सा0 के जबरदस्ती कब्जा
करने पर सायलान अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त से हमेशा के लिए वंचित हो
जायेगें। समस्त तथ्यों परिस्थितियों, दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जे काश्त अनुसार
सायलान का प्रथम दृष्टया मामला पक्ष में बखूबी प्रमाणित हैं, यदि गै0सा0 द्वारा
विवादित भूमि को खुर्द-बुर्द एवं हस्तान्तरण करने की स्थिति में सायलान को
अपूरणीय क्षति होना एवं सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में होना प्रमाणित
हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त विवादित
आराजी में सायलान के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने पर तथा विवादित भूमि के
विशिष्ट भू-भाग का बेचान रद्दोबदल हस्तान्तरण आदि करने से गै0सा0 को जरिए
अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की हैं इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र
दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 संख्या 2 व 3 को बावजूद तामिली / सूचना
अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 31/01/2011 को एक पक्षीय कार्यवाही
की गई। दिनांक 02/05/2011 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 09 R 7 R/W 151 CPC का
प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर उक्त एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त /
सैट-ए-साईट किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब दर0
दिनांक 26/05/2011 से लगातार अनेकानेक अवसर दिये जाने पर भी आज तक
वकील सायल देने में विफल रहे हैं। वकील गै0सा0 संख्या 1 व 2 की ओर से
जबाब प्रार्थना पत्र व जबाब दर0 पेश नहीं करने से बन्द किया जाता हैं। रा0द0
संख्या 23/2011 का दिनांक 07/07/2011 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण जगदीश
बनाम गोपाराम वगैरह में वकील मय सायल ने एक राजस्व प्रार्थना विरूद्ध गै0सा0

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में ही पेश किया कि उक्त भूमि का मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के आपस में 30 वर्षो पहले बंटवाड़ा किया हुआ हैं, सायल ने उक्त भूमि में से 1/3 हिस्सा नारायण पुत्र तुलछाराम से दिनांक 24/11/2010 को खरीद की थी, तब से लगातार 1/3 हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। राजस्व रेकर्ड अनुसार बतौर सायल खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। उक्त मुतनाजा भूमि में तीनों भाईयों के नाम 1/3-1/3-1/3 हिस्से माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं, इसी हिस्से माफिक मौके पर कब्जा व काश्त शांतिपूर्वक आज दिन तक चला आ रहा हैं। नारायण के कोई औलाद नहीं होने से तथा वृद्ध अवस्था होने से खाने कमाने का कोई जरिया नहीं होने से 1/3 हिस्से की 4-19 बीघा प्रार्थी को बेचान कर कब्जा सौंप दिया। इससे नाराज होकर गै0सा0 ऐलानिया कहते हैं कि उक्त भूमि की कीमत राशि दिये बिना ही हम काश्त करेंगे, जबकि बेचानकर्ता नारायण के पास कोई कमाई का जरिया नहीं होने से सायल को उक्त भूमि प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बेचान कर दी। जबकि गै0सा0 का अपने हिस्से की जमीन के अलावा बेचान की जमीन पर कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं बनता, फिर भी मौके पर जमीन के कब्जे को लेकर सायल से लड़ाई टन्टा करने पर उतारू हैं। खरीदसुदा जमीन गै0सा0 ने अपने हिस्से की जमीन का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु अदालत बाला में दावा कर रखा हैं व दावा के साथ तीनों का अलग-अलग कब्जा बताकर मौके का नजरी नक्शा पेश किया हैं। फिर भी गै0सा0 की नियत में फर्क होने से कीमतें बढ़ जाने से सायल की खरीद सुदा व कब्जा सुदा जमीन पर कब्जा करने पर उतारू हैं। जबकि गै0सा0 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। गै0सा0 ने दिनांक 01/07/2011 को प्रार्थी के खरीद सुदा व कब्जा सुदा जमीन पर जबरदस्ती खड़ाई कर दी, जिसका फौजदारी मुकदमा अप्रार्थीगण के खिलाफ पुलिस थाना जैतारण में दर्ज करवाया, जिसकी तफतीश जारी हैं। सायल व गै0सा0 यानि तीनों हिस्से की जमीन रोड़ पर लगती हैं तथा मौके पर मॉंठि बनी हुई हैं। लेकिन गै0सा0 सायल के हिस्से की जमीन पर कब्जा करने पर आमादा हैं। गै0सा0 ने इससे पूर्व भी सायल के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने व जेसीबी मशीन को रोकने की कोशिश की, जिसका फौजदारी मुकदमा भी दर्ज होकर गै0सा0 के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। सायल का कब्जा काश्त होने के बावजूद भी गै0सा0 द्वारा बेदखल करने पर सायल अपने जायज हक अधिकारों से वंचित रह जायेगा व विविध प्रकार से मुकदमें बाजी होगी, जिससे प्रार्थी जैर बार हो जायेगा। सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण मजबूत हैं, सुविधा का संतुलन भी बखूबी सायल के पक्ष में हैं। गै0सा0 द्वारा जबरन बेदखल करने पर सायल को असीम हानि होगी। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सायल के 1/3 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में दस्तन्दाजी करने गै0सा0 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की गई। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 संख्या 2 व 3 की ओर से श्री सुरेश चौधरी अधिवक्ता ने दिनांक 08/08/2011 को वकालतनामा पेश किया, स्था0भि0 हैं। रा0द0 संख्या 168/2010 में गै0सा0 संख्या 1 व 4 सायल पक्षकार होने से अधिवक्ता गै0सा0 संख्या 1 से 5 की ओर से लगातार दिनांक 08/08/2011 से वकालतनामा व जवाब पेश करने में विफल रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं तथा जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पत्रावली रा0द0 संख्या 168/2010 एवं 93/2011 आज राजस्व लोक अदालत शिविर अटल सेवा केन्द्र-बांजाकुड़ी गें दिनांक 15/06/2015 को प्रस्तुत हुई। उभय पक्षकारानों को सुना गया। बहस वकुलाय सुनी गई। वस्तुतः सायलान एवं गै0सा0 राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार काश्तकार होना प्रमाणित हैं। उक्त राजस्व प्रार्थना पत्रों से सम्बद्ध राजस्व वाद प्रकरणों में जबाबदावा कायमी तनकियात साक्ष्य आदि रेकर्ड पर लेकर विवेचन / विश्लेषण आदि के आधारों पर निर्णय पारित किया जावेंगा। लिहाजा प्रार्थना पत्रों के इन प्रकरणों में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29/12/2010 एवं 07/07/2011 को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जाना उचित समझते हैं।

## -::आदेश::-

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरूद्ध गै0सा0 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा-बांजाकुड़ी, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 908 रकबा 6-12 बीघा व खसरा नम्बर 909 रकबा 8-05 बीघा, कुल किता-2 कुल रकबा 14-17 बीघा भूमि की विवादित आराजी के किसी विशिष्ट भू-भाग का रहन बैय आदि हस्तान्तरण करने से गै0सा0 को रोका जाता हैं तथा रा0द0 संख्या 93/2011 में सायल के 1/3 हिस्से की भूमि में कोई दखलन्दाजी नहीं करने तथा उक्त विवादित भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को पाबन्द किया जाता हैं। उक्त प्रार्थना पत्र में जारी दिनांक 29/12/2010 एवं 07/07/2011 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। निर्णय की प्रति रा0द0 संख्या 93/2011 के संलग्न की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉंक 15.06.2015 को आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविर-अटल सेवा केन्द्र - बांजाकुड़ी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner